



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.12.2025

1. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा 02 पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल व एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 31.12.2025 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर अभियुक्त 1. फूल सिंह उर्फ मोनू पुत्र कैलाश 2. राजेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र कुंवरपाल 3. राजपाल उर्फ भोला पुत्र ज्ञानी को एफएनजी सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट सेक्टर-123 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण रैकी कर नोएडा/एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते थे चोरी करने के बाद जिला बदायूं में ग्राहक मिलने पर नोएडा से पार्ट्स या पूरी मो0सा0 डिमाण्ड के अनुसार ले जाते थे और बेच देते थे। जो रूपये इनको मोटरसाइकिल/मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचकर मिलते थे उनको आपस में बराबर बांटकर खर्च कर लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. फूल सिंह उर्फ मोनू पुत्र कैलाश निवासी ग्राम सिहोरा थाना जुनावई जिला सम्भल उम्र करीब 22 वर्ष हाल पता ग्राम बबराला थाना बबराला जिला सम्भल,
2. राजेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र कुंवरपाल निवासी वार्ड नं0 03 नई कालोनी दहगवां थाना जरीफनगर जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष,
3. राजपाल उर्फ भोला पुत्र ज्ञानी निवासी अम्बेडकर कालोनी नई बस्ती दहगवां थाना जरीफनगर जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष,

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 0511/2025 धारा 303(2),317(2),317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0-432/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण--

1. एक कटी मो0साइकिल के पार्ट्स नंबर-UP16DL5978 (संबंधित मु0अ0स0-511/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा)

2. रजि0 नं0 UP16DN5301 हीरो स्पलेन्डर रंग काला चेचिस नंबर –MBLHAW113NHL89543 ,
3. रजि0 नं0 HR817191 मोटरसाइकिल चैसिस नं0 MBLHA10AMEHL78767 हीरो स्प्लेंडर रंग काला, बिना नं0 प्लेट,
4. वाहन संख्या UP16AD1581 चेचिस नंबर - MBLHA10E2BHC35013 मोटरसाइकिल हीरो होन्डा स्प्लेंडर प्लस रंग काला,
5. 5. वाहन संख्या DL8SAZ9230 चैसिस नं0 MBLHA10ASC9G221 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो रंग काला
6. चैसिस नं0 MBLHA10EZBHE70927 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला, बिना नं0 प्लेट
7. वाहन संख्या UP16BJ8993 चेचिस नंबर –MBLHA10CGGHK50488 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला
8. चैसिस नं0 MBLHA10EZB9E1003 मोटर साईकिल हीरो होन्डा स्प्लेंडर प्लस रंग काला बिना इंजन व बिना नं0 प्लेट
9. वाहन संख्या DL3SDL8015 चेचिस नंबर MD2A15BZ1GRH65022 मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर रंग काला व नीला
10. वाहन संख्या UP16AR9440 चेचिस नंबर – MD2A11CZ3DWF16323 पल्सर रंग काला

2. थाना फेस- 2 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 2.5 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 31.12.2025 तो थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से कंपनियों के शटर का ताला काटकर चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त 1. अशोक भाटी पुत्र वीरपाल भाटी 2. सचिन उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र उर्फ छोटे 3. वसीम मलिक पुत्र सलीम मलिक को ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर-88 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0-635/2025 से संबंधित चोरी का माल जिसमें 41 बंडल तार, 61 लोहे की प्लेट, 120 स्टील की पत्ती जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपये है, 03 अवैध चाकू, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण- 01 ग्राइंडर मशीन, 01 हथौड़ी, 01 छैनी, 02 लोहे की कटर व चोरी करने में प्रयुक्त कार रजि0नं0- DL13CA3793 को बरामद किया गया है ।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित बन्द एवं बिना सुरक्षागार्ड वाली कंपनियों की रेकी करते थे। मौका पाकर ये अभियुक्त रात्रि के अंधेरे में कम्पनियों में प्रवेश कर वहां रखा कीमती सामान जैसे बिजली के तार, लोहे की प्लेटें, स्टील की पत्तियाँ आदि चोरी कर लेते थे। चोरी किया गया सामान अपनी कार में रखकर ले जाते थे तथा अपने पास अवैध चाकू रखते थे। चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि को अपनी शौक में खर्च करते थे। पकड़े जाने के भय से अभियुक्तगण एक स्थान पर नहीं रुकते थे, बल्कि निरंतर स्थान बदलते रहते थे। अभियुक्तों का कोई निश्चित ग्राहक नहीं होता था, बल्कि जहां अधिक दाम मिलता था वहां चोरी किया गया सामान मोल-भाव कर बेच देते थे। पुलिस से बचने के लिए अभियुक्तगण प्रायः इंटरनेट कॉलिंग का प्रयोग करते थे, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। अभियुक्तगण मूल रूप से जनपद बुलन्दशहर के निवासी हैं चोरी करने पूर्व अभियुक्तगण अपनी कार की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर उसे छिपा देते थे, जिससे वाहन की पहचान व ट्रैकिंग न हो सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अशोक भाटी पुत्र वीरपाल भाटी निवासी ग्राम महेपा, थाना सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम सबापुर, थाना सोनिया बिहार, दिल्ली, उम्र करीब 35 वर्ष, शिक्षा- अशिक्षित।
2. सचिन उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र उर्फ छोटे मूल निवासी ग्राम बराल, थाना गुलावटी, बुलन्दशहर वर्तमान पता तीसरा पुस्ता सोनिया बिहार, थाना सोनिया बिहार, दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा- कक्षा-10वीं।
3. वसीम मलिक पुत्र सलीम मलिक निवासी शशि गार्डन, मयूर बिहार, थाना पाण्डव नगर, दिल्ली, उम्र करीब 40 वर्ष, शिक्षा- कक्षा -12वीं।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

● अभियुक्त अशोक भाटी का आपराधिक इतिहास--

1. मु.अ.सं. 240/2025, धारा 303(2)/317(2), बी.एन.एस, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर
2. मु.अ.सं. 594/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर
3. मु.अ.सं. 611/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर
4. मु.अ.सं. 635/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
5. मु.अ.सं. 001/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

● अभियुक्त सचिन उर्फ विशाल का आपराधिक इतिहास--

1. मु.अ.सं. 547/2018, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर
2. मु.अ.सं. 588/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर

3. मु.अ.सं. 596/2019, धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर
4. मु.अ.सं. 765/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर
5. मु.अ.सं. 577/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर
6. मु.अ.सं. 364/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
7. मु.अ.सं. 620/2019, धारा 457/380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
8. मु.अ.सं. 1224/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
9. मु.अ.सं. 1266/2019, धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
10. मु.अ.सं. 781/2019, धारा 457/380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
11. मु.अ.सं. 394/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
12. मु.अ.सं. 897/2019, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
13. मु.अ.सं. 881/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
14. मु.अ.सं. 382/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
15. मु.अ.सं. 896/2019, धारा 399/402 भा0द0वि0, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
16. मु.अ.सं. 514/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
17. मु.अ.सं. 1073/2019, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
18. मु.अ.सं. 502/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर
19. मु.अ.सं. 30/2023, धारा 457/380 भा0द0वि0, थाना कपूरपुर, हापुड़
20. मु.अ.सं. 240/2025, धारा 303(2)/317(2), बी.एन.एस, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर
21. मु.अ.सं. 594/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर
22. मु.अ.सं. 611/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर
23. मु.अ.सं. 635/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
24. मु.अ.सं. 001/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

● अभियुक्त वसीम मलिक का आपराधिक इतिहास--

1. मु.अ.सं. 620/2019, धारा 457/380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर

2. मु.अ.सं. 781/2019, धारा 457/380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
3. मु.अ.सं. 1224/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
4. मु.अ.सं. 1266/2019, धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना सैक्टर 20, गौतमबुद्धनगर
5. मु.अ.सं. 315/2022, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
6. मु.अ.सं. 321/2022, धारा 414/34 भा0द0वि0, थाना नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर
7. मु.अ.सं. 68/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
8. मु.अ.सं. 382/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
9. मु.अ.सं. 394/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
10. मु.अ.सं. 896/2019, धारा 398/401 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
11. मु.अ.सं. 894/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
12. मु.अ.सं. 881/2019, धारा 382/411 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
13. मु.अ.सं. 514/2019, धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
14. मु.अ.सं. 493/2019, धारा 380 भा0द0वि0, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
15. मु.अ.सं. 1073/2019, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
16. मु.अ.सं. 635/2025, धारा 305(a)/317(2), बी.एन.एस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
17. मु.अ.सं. 001/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 41 बंडल तार, 61 लोहे की प्लेट, 120 स्टील की पत्ती
2. 03 अवैध चाकू
3. चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण- 01 ग्राइंडर मशीन, 01 हथौड़ी, 01 छैनी, 02 लोहे की कटर
4. चोरी करने में प्रयुक्त कार रजि0नं0- DL13CA3793

3. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा कामर्शियल प्रापर्टी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 18.10.2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण श्याम गौतम व विशनु गौतम पुत्रगण जयप्रकाश गौतम द्वारा नकली अलाटमेण्ट लेटर, फर्जी एग्रीमेंट के जरिये अन्य कम्पनियों के प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट के नाम से बेचने की धोखाधड़ी करने व कामर्शियल प्रापर्टी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का अपराध कारित करते थे जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर 142 पर मु0अ0स0-191/25 धारा 420/467/468/120b/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 31.12.2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा अभियुक्त देवान्श शर्मा उर्फ श्याम गौतम पुत्र श्री जयप्रकाश गौतम को भूटानी एल्फातथम के सामने सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त विशनु गौतम की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त देवान्श शर्मा उर्फ श्याम गौतम द्वारा प्रोपर्टी खरीदवाने व बिचवाने के नाम पर अपना व्यपार करके अपनी कम्पनी के द्वारा लोगो को प्रभावित कर उनसे पैसे लेकर प्रोपर्टी न दिलाने तथा पैसे वापिस ना करने जिससे लोगो के साथ छल करके अपराध करने का कार्य कर धोखाधड़ी करने का अपराध कारित करते थे ।

इसी तरह वर्ष 2022 माह में अभियुक्त श्याम गौतम उर्फ देवांश शर्मा अपने भाई सह अभियुक्त विष्णु गौतम के साथ मिलकर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर एक करोड़ 59 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गयी थी तथा प्रॉपर्टी भी नहीं दी गयी और पैसा भी वापस नहीं किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

देवान्श शर्मा उर्फ श्याम गौतम पुत्र श्री जयप्रकाश गौतम उम्र 34 वर्ष नि0 एपक्स गोल्फ एवन्यू नोएडा एक्सटेन्सन ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास--

मु0अ0सं0- 191/2025 धारा 420/467/468/120b/504/506 भादवि. थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर ।